

थाना स्योहारा पुलिस द्वारा 01 नफर अभियुक्त 40 लीटर अवैध कच्ची शराब खाम व शराब बनाने के उपकरण के साथ गिरफ्तार करना



पुलिस अधीक्षक बिजनौर के निर्देशन में जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 13.06.2021 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा अभियुक्त छिददु सिंह पुत्र स्वं० हरचरन सिंह नि० ग्राम किवाड़ थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को दो प्लास्टिक की जरीकैनो में लगभग 20-20 लीटर कुल 40 लीटर अवैध कच्ची शराब खाम व शराब बनाने के उपकरण टीन का कनस्तर, एक पतीली ऐल्युमिनियम, पुराना इस्तेमाली जो टीन कनस्तर आदि सहित गिरफ्तार किया गया। मौके पर 200 लीटर हलन नष्ट किया गया

। जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु०अ०सं० 311/21 धारा 60(2) EX ACT बनाम छिदू सिंह उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

छिददु सिंह पुत्र स्वं० हरचरन सिंह नि० ग्राम किवाड़ थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरण

- 40 लीटर कच्ची शराब
- टीन का कनस्तर
- प्लास्टिक का पाईप
- एक पतीली ऐल्युमिनियम
- टीन कनस्तर
- एक प्लास्टिक की ड्रमी
- एक गिलास स्टील
- एक चिमटा लोहे का
- एक सिल्वर की बाल्टी

गिरफ्तार करने वाली टीम

- 1.उ०नि० गंगाराम गंगवार
- 2.हे०का० 198 महेश चन्द
3. हे०का० 11 राजेश प्रताप
- 4.का० 943 रजनीश कुमार
- 5.का० 865 धन सिंह मलिक
- 6.का० 1712 धीरेन्द्र कुमार

थाना मंडावर:- थाना मंडावर पुलिस द्वारा अभियुक्त 1- मनोज पुत्र शेर सिंह निवासी रावली थाना मंडावर जनपद बिजनौर 2- राजेंद्र पुत्र सगवा निवासी रावली थाना मंडावर जनपद बिजनौर 3- काले पुत्र बलराम निवासी ग्राम इनाम पुरा थाना मंडावर जनपथ को अन्तर्गत धारा 151/117/106 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।



थाना मंडावर:- थाना मंडावर पुलिस द्वारा अभियुक्त फारुख पुत्र सूखे व आरिफ पुत्र फारुख निवासी गण ग्राम तिमारपुर थाना मंडावर जनपद बिजनौर को अंतर्गत धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।



थाना स्योहारा:- थाना स्योहारा पुलिस द्वारा अभियुक्त गण 1. बिट्टू पुत्र चेताराम 2.कलवा पुत्र चेताराम निवासी गण मोहल्ला फैजुल्लापुर थाना स्योहारा 3. अखलाक पुत्र हनीफ निवासी बुढनपुर थाना स्योहारा जिला बिजनौर 4.नीरज कुमार पुत्र महिपाल सिंह निवासी ग्राम मलकपुर बुडेन थाना स्योहारा जिला बिजनौर को अंतर्गत धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।

